

रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127

REGISTERED NO. D. (D.N.) 127



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं 88]  
No. 88]

नई दिल्ली, शनिवार, फरवरी 1, 1992/माघ 12, 1913  
NEW DELHI, SATURDAY, FEBRUARY 1, 1992/MAGHA 12, 1913

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में  
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a  
separate compilation

कृषि मंत्रालय

(कृषि और सहकारिता विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 फरवरी, 1992

का. आ. 101(अ):—केन्द्रीय सरकार, वीज अधिनियम, 1966 (1966 का 54) की धारा 8क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के कृषि मंत्रालय की अधिसूचना सं. का. आ. 287(अ) तारीख 24 अप्रैल, 1991 में निम्नलिखित संशोधन करती है अर्थात्:—

298 GI/92

(1)

